राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–649/2025

सुमन गोठवाल

–अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर
2. आयुक्त, कृषि विभाग, जयपुर।
3. विकास यादव, वर्तमान पदस्थापित मुख्यालय किशनगढ, कार्यालय उप निदेशक, उद्यानिकी, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक :–05.02.2025

<u>उपस्थित –</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :–विकास सीतारामजी भाले (अध्यक्ष)
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

<u>आदेश</u>

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी द्वारा अपने स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी गयी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन मु.किशनगढ, उप निदेशक उद्यान, जयपुर से मु. लाछडी, सहायक निदेशक कृषि (वि) कुचामन सिटी में किया गया है।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के पति राजकीय सेवा में जयपुर जिले में कार्यरत है। राज्य सरकार की नीति रही है कि पति–पत्नी दोनों में राजकीय सेवा में होने पर उन्हें यथासंभव एक स्थान पर अथवा नजदीक के स्थान पर पदस्थापित रखा जाए, परन्तु अपीलार्थी का स्थानान्तरण उक्त नीति के विरूद्ध किया गया है। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थी के 2 छोटे बच्चे हैं, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर ही है। ऐसे में अपीलार्थी का सुदूर स्थानान्तरण किये जाने से अपीलार्थी को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पडेगा।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष